Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में शहरी विकास एवं आवास विभाग (यू.डी.एच.) के उच्च अधिकारियों (सचिव स्तर) के नाम पर 12 लाख रूपये रिश्वत लेते दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **एन.ओ.सी. के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 मई, सोमवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा आज उदयपुर में कार्यवाही करते हुये दलाल लोकेश जैन (प्राईवेट व्यक्ति) को शहरी विकास एवं आवास विभाग (यू.डी.एच.) के उच्च अधिकारियों के नाम पर परिवादी से **12 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी भूमि के 90ए के तहत भू–रूपान्तरण हेतु एन.ओ.सी. जारी करवाने की एवज में शहरी विकास एवं आवास विभाग (यू.डी.एच.) के उच्च अधिकारियों अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं संयुक्त सचिव के नाम पर दलाल लोकेश जैन (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा **12 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के निर्देशन में एसीबी की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील** द्वारा मय **उप अधीक्षक पुलिस श्री मांगीलाल** एवं टीम के उदयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल लोकेश जैन पुत्र श्री शांति लाल निवासी फ्लेट नं0 503, आर.जी. अरिहन्त अपार्टमेन्ट, नियर फोर्टिस अस्पताल, सौभागपुरा, उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **12 लाख रूपये (5 लाख रुपये भारतीय मुद्रा एवं 7 लाख रुपये डमी करेंसी)** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में शहरी विकास एवं आवास विभाग (यू.डी.एच.) के उच्च अधिकारियों की संलिप्तता की गहन एवं विस्तृत जाँच की जा रही है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।